MJC 47/2025

परमानंद आदिवि0 उज्जैन न.पा.नि. आदि

21.03.2024 आवेदकगण द्वारा श्री अमित कुमार व्यास अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण द्वारा श्री कैलाश विजयवर्गीय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अनवोदकगण की ओर से जवाब हेतु नियत है।

यह प्रकरण नगर पालिका निगम उज्जैन के विरूद्ध नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 401 के संबंध में एक माह के नोटिस दिए जाने की अवधि पूर्ण न होने के कारण धारा 94 सीपीसी के तहत पेश किया गया था। प्रकरण में संलग्न उक्त अधिनियम की धारा 401 का सूचना पत्र दिनांक 18.02.2025 को प्रतिवादीगण को प्रेषित किया गया था जिसमें एक माह की विहित समयावधि का अवसान हो चुका है। वर्तमान में वाद प्रस्तुत करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। आवेदक पृथक से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः आवेदन पत्र विहित समयाविध का अवसान हो जाने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज किया जाए।

सुश्री शुभांगी जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त
न्यायाधीश उज्जैन (म0प्र0)